संख्या- 18/2015/880/26-3-2015-10(3)/08

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 30 मार्च, 2015

विषयः- निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0पी0-32 एफ0 0893 की जगह एक नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1261/स0क0/नजारत/2014-15, दिनांक 23-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिस्थापन वाहन के स्थान पर ''टाटा सूमो गोल्ड ई0एक्स0बी0एस0 प्ट वाहन क्रय किये जाने हेतु रूपया-5,37,919/-(रू0 पांच लाख सैतीस हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय प्रश्नगत कार्य हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों/वित्त नियमों के अधीन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-01 अनुसूचित जातियो का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-04 मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-550/दस-2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजयप्रसादत्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या-18/2015/880/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ/मुख्यकोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट, कैसरबाग लखनऊ।
3 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5 निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

6 गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।